न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 7 का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2014 को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र कायम मुकाम को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः वकील प्रतिवादी की अनापत्ति के आधार पर प्रार्थना पत्र कायम मुकाम स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 7 के कायम मुकामान् को रिकार्ड पर लिया जाता है। वकील वादीगण ने संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 26.06.2023 को पेश हों। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर)
26.06.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय आदेश पत्रावली दिनांक 05.07.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
05.07.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। ... पंचा डिक्री जारी पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 05/07/23 दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
19/2005	2005/00030	15.03.2005	05.07.2023

उनवान प्रकरण

1. रामचन्द्र पुत्र लिखमाराम (मृत्तक) जरिये –:

1/1. सुन्दरी देवी उर्फ सोमादेवी उम्र 48 साल पत्नी स्व0 रामचन्द्र

1/2. सुनील कुमार उम्र 25 साल पुत्र स्व0 रामचन्द्र

1/3. नरेश कुमार उम्र 18 साल पुत्र स्व0 रामचन्द्र

1/4. सुनिता देवी उम्र 22 साल पुत्री स्व0 रामचन्द्र

जाति समस्त मेघवंशी (बलाई) निवासी नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—— वादीगण——

बनाम्

1. जयसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 50 साल
2. म्हालसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 40 साल
3. उपेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 45 साल
4. हिम्मतसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 35 साल
5. सतीदानसिंह उमु 56 साल पुत्र बहादुरसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:56 IST
Reason: SelfAttested

05/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

6. महेन्दरसिंह उम्र 40 साल पुत्र नारायणसिंह

7. प्रतापसिंह उम्र 65 साल पुत्र बेगसिंह मृत्तक के बजाय :—

7/1. नेहपालसिंह पुत्र प्रतापसिंह

7/2. शिम्भूसिंह पुत्र प्रतापसिंह

7/3. चेन कंवर पुत्री प्रतापसिंह

7/4. चांद कंवर पुत्री प्रतापसिंह

7/5. शोभा कंवर पुत्री प्रतापसिंह

7/6. सुगन कंवर पुत्री प्रतापसिंह

7/7. मोहन कंवर पत्नी प्रतापसिंह

8. अनुकंवर पत्नी हिम्मतसिंह आयु 30 साल

9. सुप्यार कंवर पत्नी उपेन्द्रसिंह उम्र 40 साल

जाति राजपूत निवासी नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

10. भूमिधारक तहसीलदार श्रीमाधोपुर सीकर।

11. पटवारी हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर सीकर।

12. सब–रजिस्ट्रार तहसील श्रीमाधोपुर सीकर राज0 ।

—— प्रतिवादीगण ——

उपस्थितः—

श्री बनवारी लाल कुड़ी, श्री सरदार सिंह कुड़ी एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत एड0 प्रतिवादी संख्या 8 व 9 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी सं0 10 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:56 IST
Reason: SelfAttested

05/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि चाह खसरा नम्बर 1770 तन् नाथूसर में स्थित हैं जो कुंआ साहवाला के नाम से पुकारा जाता हैं व इस चाह के नीचे भूमि खसरा नम्बर पुराने 1769 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा तन नाथूसर स्थित हैं। जिसके 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रथम सैटिलमेन्ट के समय वादी के पिता लिखमा राम के नाम दर्ज की गई थी। इस 1/2 हिस्सा को वादी का पिता व अपने भाई खेताराम व लच्छाराम के साथ काश्त करता था एवं 1/4 हिस्सा को प्रतिवादीगण 1 से 6 के बुजुर्ग बहादुरसिंह व 1/4 हिस्सा को प्रतापसिंह व उनके पिता काश्त करते थे व इसी अनुसार खातेदारी इनके नाम दर्ज कर दी गई थी एवं यह एक ही परिवारों से था। खातेदार बहादुरसिंह का देहान्त होने पर उनके 1/4 हिस्सा की खातेदारी उनके पुत्रगण भंवरसिंह, सतीदानसिंह व नारायण सिंह के नाम प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा की खातेदारी दर्ज कर दी गई एवं भंवरसिंह का देहान्त होने पर उनके स्थान पर 1/12 हिस्सा के खातेदार प्रतिवादीगण 1 से 4 दर्ज कर दिए गए व 1/12 हिस्सा के खातेदार सतीदान सिंह दर्ज रहे व नारायण सिंह का देहांत होने पर उनके स्थान पर विरासत के अनुसार प्रतिवादी नम्बर 05 महेन्द्र सिंह को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया गया। भूमि खसरा नम्बर 1769 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा तन नाथूसर के रिसैटलमेन्ट 1980–1981 में खसरा [illegible] रकबा 0.01 हैक्टर, 4341 रकबा 0.74 हैक्टर, 4342 रकबा [illegible] 4344 रकबा 0.25 हैक्टर, 4345 रकबा 0.25 हैक्टर, [illegible] 4351 रकबा 0.31 हैक्टर, कुल किता 8 कुल रकबा 3.31 हैक्टर तन् नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर सीकर दर्ज कर दिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:56 IST
Reason: SelfAttested

05/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

गए। रिसैटिलमेन्ट 1980–1981 में हुआ उसके पूर्व से वादी व प्रतिवादीगण 1 से 7 ने अपने हिस्सा अनुसार भूमियों का आपसी सहमति से बंटवारा कर रखा था व बंटवारा में वादी के हिस्सा में भूमि खसरा नम्बर 4345 रकबा 0.25 हैक्टर, 4340 रकबा 0.01 हैक्टर, 4342 रकबा 0.40 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 4343 रकबा 0.40 हैक्टर संपूर्ण खसरा नम्बर 4344 रकबा 0.25 हैक्टर संपूर्ण कुल किता 5 कुल रकबा 1.31 हैक्टर संपूर्ण व भूमि खसरा नम्बर 4341 रकबा 0.74 हैक्टर का 1/2 हिस्सा आया हुआ था व भूमि ख0न0 4347 रकबा 0.95 हैक्टर संपूर्ण व भूमि खसरा नम्बर 4351 रकबा 0.31 हैक्टर संपूर्ण कुल किता 2 रकबा 1.26 हैक्टर संपूर्ण व भूमि खसरा नम्बर 4341 का 1/2 हिस्सा आया हुआ था। रिसैटलमेन्ट 1980–81 में वादी ने अपने हिस्सा की भूमि में से खसरा नम्बर 4343 रकबा 0.40 हैक्टर, 4344 रकबा 0.25 हैक्टर जिसे वादी का चाचा लच्छा काश्त करता था। उसके नाम खातेदारी दर्ज कर दी व खसरा नम्बर 4342 रकबा 0.40 हैक्टर की खातेदारी अपने चाचा खेताराम के नाम दर्ज कर दी एवं खसरा नम्बर 4340 रकबा 0.01 हैक्टर संपूर्ण व खसरा नम्बर 4345 रकबा 0.25 हैक्टर संपूर्ण कुल किता 2 रकबा 0.26 हैक्टर व खसरा नम्बर 4341 रकबा 0.74 हैक्टर के 1/2 हिस्सा खातेदारी अपने नाम दर्ज करा ली एवं भूमि खसरा नम्बर 4341 रकबा 0.74 हैक्टर के 1/4 हिस्सा की प्रतिवादीगण 1 से 4 के पिता भंवर सिंह व प्रतिवादी नम्बर 05 सतीदानसिंह व प्रतिवादी नम्बर 06 के पिता नारायण सिंह के नाम दर्ज कर दी जो फिर प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 6 के नाम विरासत के अनुसार दर्ज कर दी गई है व 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्रतापसिंह प्रतिवादी नम्बर 7 के नाम दर्ज कर दी गई व खसरा नम्बर 4347 रकबा 0.95 हैक्टर संपूर्ण व भूमि खसरा नम्बर 4351 रकबा 0.31 हैक्टर संपूर्ण कुल किता 2 रकबा 1.26 हैक्टर की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 6 महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज इनके आपसी बंटवारा व सहमति से कर दी गई। वादी व प्रतिवादीगण के आपस में काफी मधुर संबंध थे व प्रतिवादी खसरा 1 से 6 ने भूमि खसरा नम्बर 4341 रकबा 0.74 हैक्टर तन नाथूसर के 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 4351 रकबा 0.25 हैक्टर संपूर्ण व खसरा नम्बर 4347 रकबा 0.95 हैक्टर संपूर्ण तन नाथूसर का बेचान वादी को जरिये ईकरारनामा दिनांक 02.06.87 को 2500/– रूपये में कर दिया व उसी दिन सांई पेटे 4000/– रूपये ले लिए व बाकी राशि की वसूली हेतू अलग–अलग किश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:56 IST
Reason: SelfAttested

05/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

कर ली। जिसके अनुसार 6000/– रूपये दिनांक 15.07.87 को 10000/– रूपये दिनांक 15.01.88 को व बाकी राशि 5001/– दिनांक 15.03.88 को अदा कर देगा। उपरोक्त किश्तों का भुगतान करने पर प्रतिवादीगण ने बेचाननामा 7/– रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 18.03.88 को लिखकर वादी को दे दिया जो प्रतिवादी प्रतापसिंह के द्वारा लिखा गया था व भंवरसिंह मृतक व प्रतिवादीगण 5 से 7 की तरफ से लिखा गया था व लिखावट में यह दर्ज किया था कि कुंआ साहवाला जिसकी पर्चा के अनुसार जमीन हमारी है उसकी कीमत 25001/– रूपये पच्चीस हजार एक रूपये मुकर्रर की जिसकी सांईपेटा 4000/– रूपये प्राप्त कर लिए। उसके बाद में 6000/– रूपये 02.08.87 को, 1000/– रू0 दिनांक 26.09.87, 1500/– रूपये 29.01.88 को, 200/– रूपये दिनांक 8.3.88 को, तथा 7000/– रूपये दिनांक 18.3.88 को इस प्रकार 19700/– रूपये वसूल कर लिए व 5301/– रूपये प्राप्त कर 15.05.88 को रजिस्ट्री करा देंगे। यह लिखावट प्रतिवादी नम्बर 07 के द्वारा लिखी गई थी व इस पर हस्ताक्षर प्रतिवादी नम्बर 6 महेन्द्रसिंह व प्रतापसिंह ने कर दिए थे। यह लिखावट दिनांक 18.3.88 को लिखी गई थी व इसके बाद में वादी ने इकरारनामा के अनुसार शेष राशि 5301/ पांच हजार तीन सौ एक रूपया दिनांक 3.4.1989 को प्राप्त कर लिए व विक्रय पत्र सत्यापित कराने हेतू महेन्द्रसिंह स्वयं सब रजिस्ट्रार के कार्यालय–श्रीमाधोपुर में आ गया, परन्तु उसने प्रलेख लेखक से मिलकर केवल भूमि खसरा नम्बर 4347 रकबा 0.95 हैक्टर संपूर्ण व खसरा नम्बर 4349 रकबा 0.01 हैक्टर के 1/2 हिस्सा तन् नाथूसर बाबत बेचाननामा मे दर्ज कराया व उसने धोखे से भूमि खसरा नम्बर 4351 रकबा 0.31 हैक्टर व खसरा नम्बर 4341 रकबा 0.74 हैक्टर के 1/2 हिस्सा की बाबत विक्रय लेख में दर्ज नहीं कराया जबकि यह भूमि भी वादी को बेचान की गई थी व पूरी भूमि को विक्रय राशि 25000/रूपये तय की थी व पूरी भूमि की विक्रय राशि पर स्टाम्प डयूटी वादी ने अदा की थी व वादी गांव का भोला–भाला बलाई जाति का व्यक्ति है व उसे इस धोखाधडी की जानकारी नहीं हुई। वादी के रूप से क्रय कर शेष भूमि खसरा नम्बर 4351 रकबा 0.31 हैक्टर तथा 4341 रकबा 0.74 हैक्टर के 1/2 हिस्सा पर जो प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है पर कास्त काश्त दिनांक 02.06.1987 से प्रतिवादीगण 1 से 7 की जानकारी में चला आ रहा है व वादी अकेले ने अपने नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:56 IST
Reason: SelfAttested

05/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

विद्युत सम्बन्ध चाह में ले रखा है। उससे सिंचाई करता आ रहा है व वर्तमान में भी इस खसरा नम्बर पर वादी ने जौ, चना, गेहू आदि की सिंचित काश्त कर रखी है व भूमि खसरा नम्बर 4340 से 4345, 4347, 4351 व खसरा नम्बर 4348, 4350, 4349, 4336 को मिलाकर इनके चारों तरफ खाम डोली लगाकर डोली से सटाकर पीलर गाड रखे हैं जिन पर कांटेदार तारों से बाडा बंदी कर रखी हैं व सिंचाई कर काश्त कर रखी हैं। वादी ने प्रतिवादीगण से भूमि खसरा नम्बर 4341 रकबा 0.74 हैक्टर का 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 4347 रकबा 0.95 हैक्टर संपूर्ण व खसरा नम्बर 4351 रकबा 0.31 हैक्टर तन् नाथूसर 25000/ रूपये में कय की थी व वादी ने इस पूरी भूमि पर स्टाम्प डयूटी भी दी है, परन्तु प्रतिवादीगण ने धोखा से भूमि खसरा नम्बर 4351 रकबा 0.31 है0 व भूमि खसरा नम्बर 4341 के 1/2 हिस्सा को विकय–पत्र में दर्ज नही कराया। इस विवादग्रस्त भूमि पर दिनांक 02.06.1987 से बहैसियत खातेदार काश्तकार काविज चला आ रहा हैं व वादी को इस विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने का अधिकार भी प्रतिवादीगण खो चूके है व प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार भी इस भूमि विवादित बाबत समाप्त होकर वादी को प्राप्त हो चुके हैं व वादी विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से हटाकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज कराने के अधिकारी हैं। वादी ने दावा पेश कर दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर फरमाया जावे कि वादी भूमि खसरा नम्बर 4351 रकबा 0.31 हैक्टर संपूर्ण व खसरा नम्बर 4341 रकबा 0.74 है0 तन् नाथूसर के 1/2 हिस्सा पर जिसकी खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं, पर वादी वैधानिक रूप से दिनांक 02.06.1987 से यानि 18 वर्ष से बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चला आ रहा हैं व इस विवादित भूमि से वादी को बेदखल करने का प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है व वादी प्रतिवादीगण की जानकारी में इस पर काबिज काश्त खातेदार की हैसियत से चला आ रहा है व प्रतिकब्जा के आधार पर भी वादी विवादित भूमि का खातेदार हो चुका है व वादी भूमि ख0न0 4351 रकबा 0.31 हैक्टर संपूर्ण व ख0न0 4341 रकबा 0.74 है0 के 1/2 हिस्सा तन् नाथूसर का खातेदार हो चूका है। वादी इस भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के स्थान राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज कराने का अधिकारी है एवं विक्रय लेख में प्रतिवादी नं0 6 ने प्रतिवादी नं 8, 9 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:56 IST
Reason: SelfAttested

03/07/23
दिलीप सिंह

नाम दिनांक 10.01.05 को पेश कर तस्दीक कराया है उससे वादी पाबंद नहीं है व उक्त विक्रय लेख वादी के प्रति बेअसर व शुन्य है। अगर तादौराने दावा इस नुमाईशी विक्रयलेख के आधार पर प्रतिवादी नं0 8, 9 के नाम इस भूमि ख0न0 4351 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी जाये तो इनके नाम से भी खातेदारी निरस्त कर वादी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज कराने का अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण 1 से 9 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि खसरा नम्बर 4351 रकबा 0.31 है0 संपर्ण व खसरा नम्बर 4341 रकबा 0.74 है0 के 1/2 हिस्सा तन् नाथूसर से जिसकी खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, प्रतिवादीगण 1 से 9 भूमि खसरा नम्बर 4351 रकबा 0.31 हैक्टर तन् नाथूसर का नामान्तकरण अपने नाम से तस्दीक कराए न ही प्रतिवादीगण 1 से 9 विवादित भूमि को अन्य को अन्तरण करें। दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाये जाने हेतु वाद वास्ते इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 8 एवं 9 की ओर से श्री दिनेश सिंह शेखावत एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 ता 12 की तामील सम्यक रूप से होकर लौटी हैं। बावजूद तामील के भी हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। श्री दिनेश सिंह शेखावत एड0 ने प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या – 4 के विरूद्ध दिनांक 30.04.2008 को की गई एकतरफा कार्यवाही को अपास्त किया जाकर जवाबदेही का अवसर दिये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील वादीगण ने कोई एतराज नहीं होना प्रा0 पत्र पर अंकित किया। वकील वादीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रा0 पत्र मसूंखी कार्यवाही स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध दिनांक 30.04.2008 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जाकर सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। प्रतिवादी ... प्रतिवादी संख्या 7 के फौतगी पर प्रार्थना पत्र कायम मुकामान् पेश कर बाद ... वादी व प्रतिवादी संख्या 7 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:56 IST
Reason: SelfAttested

05/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वारिसान् को रिकार्ड पर लिया गया। वादपत्र में संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किया गया। प्रकरण में पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से राजीनामा न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें वादीगण संख्या 1/1 से 1/3 की पहचान एवं शेष वादीगण संख्या 1/4 की ओर से वादीगण वकील श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम एड0 ने राजीनामा स्वीकार किया एंव उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 4, 8 व 9 की पहचान प्रतिवादीगण वकील श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारान् के द्वारा राजीनामा सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा बाद तरदीक शामिल पत्रावली किया गया। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 4351 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 4341 रकबा 0.74 हैक्टर तन ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की संपूर्ण भूमियों पर मौके पर वादीगण वक्त बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं, जिसकी खातेदारी मुताबिक राजीनामा वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड कर दिये जाने तथा उक्त भूमियों से प्रतिवादीगण मय वारिसान व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की मृत्तक माता भंवर कंवर पत्नी भंवर सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमा दिये जाने में हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होने बाबत राजीनामा में अंकित किया है। इस प्रकार उक्त भूमियों के संपूर्ण विवादों का निपटारा इस राजीनामा के जरिये समाप्त कर लिये जाने तथा इस हेतु बाध्य रहने बाबत कथन अंकित किया है। प्रतिवादीया नम्बर 8 का दस्तावेजात में नाम अनिता कंवर हैं जिसके नाम खातेदारी दर्ज हैं। वकील वादीगण साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते। अतः साक्ष्य वादीगण बन्द की जाकर प्रकरण को सीधे ही बहस में लिया गया। प्रकरण में वकील वादीगण ने वादपत्र में पक्षकारान् के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही व राजीनामा हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति जाहिर की। वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् हेतु पत्रावली रखी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:56 IST
Reason: SelfAttested

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन

10/7/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम जमाबन्दी अनुसार जमाबंदी सम्वत् 2027 – 2030, 2056 – 2059 कुल तीन जमाबन्दीयाँ, 2074 – 2077, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा ट्रेस, बैयाननामा, विक्रय लेखों की प्रतियाँ इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों में भूमि खसरा नम्बर 4341 रकबा 0.74 हैक्टर के 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी पक्षकार के नाम एंव शेष हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम एंव खसरा नम्बर 4351 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 4351 के सम्पूर्ण रकबे का विक्रय प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा केतागण श्रीमती अनुकंवर पत्नि हिम्मतसिंह व श्रीमती सुप्यार कँवर पत्नि उपेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी नाथूसर को दिनांक 10.01.2005 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख के द्वारा किया जाना प्रकट होता है। उक्त केतागण इस वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 8 व 9 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादिया संख्या 8 का नाम अनिता कँवर दस्तावेज में खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमियों पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर लगातार काश्त किया जाना प्रकट होता है। प्रकरण में पक्षकारान् वादीगण एंव प्रतिवादीगण 4, 8 लगायत 9 के मध्य आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से हाजिर न्यायालय होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया जाना प्रकट होता है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने मध्य हुए राजीनामा में अंकित विवरणानुसार उक्त वादपत्र का निस्तारण करवाना चाहते है तथा राजीनामा में अंकित विवरणानुसार ही पक्षकारान् मौके पर काबिज होकर अपनी – अपनी भूमियों को काश्त करते चले आना प्रमाणित होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियों का पक्षकारान् के द्वारा सैटलमेंट बाहमी बंटवारा किया जाकर उसी अनुसार मौके पर अपने – अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज काश्त होना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में पेश किये गये राजीनामा के आधार पर वादीगण द्वारा [illegible] वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायहित में स्वीकार किया [illegible] उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:56 IST
Reason: SelfAttested

03/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन् ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 4351 रकबा 0.31 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 4341 रकबा 0.74 हैक्टर सम्पूर्ण का वादीगण संख्या 1/1 से 1/4 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बरान् से प्रतिवादीगण व मृत्तक भँवर कँवर पत्नि भँवर सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:56 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर